बैठक/समयबद्ध

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(उर्वरक अनुभाग)
कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रांक–उर्वरक/ /जिंक डी.ओ.टी./आर.टी.जी.एस./2016–17/लखनऊ : दिनॉक– 16 मई, 2016

समस्त जिंक सल्फेट विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– कृषकों को खरीफ, 2016 में जिंक सल्फेट वितरण कराकर अनुमन्य अनुदान डी0बी0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना।

शासनादेश संख्या–16/2016/1031/12–2–2016–9–2015 दिनांक 13 मई, 2016 के द्वारा कृषकों को खरीफ, 2016 में जिंक सल्फेट पर अनुमन्य अनुदान डी0बी0टी0/ आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत जिंक सल्फेट हेप्टाहाईड्रेट 21 प्रतिशत की 25 कि0ग्रा0/हेक्टेयर तथा जिंक सल्फेट मोनोहाईड्रेट 33 प्रतिशत की 15 कि0ग्रा0/हेक्टेयर की दर से वितरण किया जायेगा। केन्द्र पोषित योजनाओं में जिंक सल्फेट के वितरण पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 500/– जो भी कम हो, की दर से अनुदान अनुमन्य है। समस्त श्रेणी के कृषक अनुदान का लाभ पाने के लिए हकदार होंगे, लेकिन प्राथमिकता लघु एवं सीमान्त कृषकों को दी जायेगी एवं किसी एक कृषक को 02 हेक्टेयर की सीमा तक ही प्रयोग करने हेतु जिंक सल्फेट अनुदान पर दिया जायेगा। कृषक किसी भी विनिर्माता/प्रदायकर्ता कम्पनी से जिंक सल्फेट क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा। इच्छुक पंजीकृत कृषकों को जिंक सल्फेट का वितरण किया जायेगा। जिंक सल्फेट की विकास खण्ड स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रदेश के समस्त मण्डलों में 15 जून, 2016 से 07 जुलाई, 2016 तक कम्पनियों के स्टाल विकास खण्ड स्तर पर लगवाकर बिक्री का आयोजन कराया जायेगा। कृषकों को पूर्ण मूल्य पर जिंक सल्फेट का क्रय करना होगा तथा अनुदान की धनराशि सीधे लाभार्थी कृषकों के बैंक खाते में भेजी जायेगी।

कृषकों को अच्छी गुणवत्तायुक्त जिंक सल्फेट प्राप्त हो, इसके लिऐ सम्बन्धित फर्मो से परफारमेन्स बैंक गारन्टी के रूप में न्यूनतम रू0 3.00 लाख (रूपये तीन लाख मात्र) अथवा प्रस्तावित वितरित की जाने वाली जिंक सल्फेट की मात्रा की धनराशि का 02 प्रतिशत की धनराशि जमा करायी जायेगी। एक कम्पनी को कम से कम एक जनपद के समस्त विकास खण्ड में अभियान के दौरान प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। गुणवत्ता खराब होने पर उक्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा सम्बन्धित उर्वरक निरीक्षक के द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित कम्पनियों/फर्मो को गुणवत्ता प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराना होगा। प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर जिंक सल्फेट के गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु त्वरित गुणवत्ता परीक्षण की

क्रमशः.....2

भी व्यवस्था की जायेगी तथा उर्वरक निरीक्षक द्वारा रैण्डम सैम्पल भी ग्रहण किया जायेगा। सम्बन्धित कम्पनियों/फर्मो के द्वारा यह शपथ–पत्र भी देना होगा कि विकास खण्ड स्तरीय जिंक सल्फेट विक्रय अभियान की दर से कम दर पर खुले बाजार में जिंक सल्फेट का वितरण नहीं करेंगे। उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित कम्पनी को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। अभियान के अन्तर्गत प्रतिभाग करने वाली विभिन्न कम्पनियों से ऑफर प्राप्त करके दरो का निर्धारण किया जाना है। यह प्रक्रिया उसी प्रकार सम्पन्न की जानी है, जैसे संकर बीजों के लिए की जाती है।

अतः शासनादेशानुसार शपथ–पत्र एवं दर निर्धारण तथा जिंक सल्फेट वितरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिनांक20 .05.2016 को 3·00बजे कृषि निदेशालय के तृतीय तल स्थित सभा कक्ष में एक बैठक आयोजित की गयी है। कृपया उक्त बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

(मुकेश कुमार श्रीवास्तव)
कृषि निदेशक, उ0प्र0।

पत्रांक–उर्वरक/446/जिंक डी.बी.टी./आर.टी.जी.एस./2016–17/लखनऊ : दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), कृषि भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त बैठक हेतु तृतीय तल स्थित सभा कक्ष को खुलवाने हेतु।
2. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), द्वितीय तल, कृषि भवन, लखनऊ को शासनादेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
3. समस्त जिला कृषि अधिकारियों को उक्त पत्र की प्रति उनके जनपद की जिंक सल्फेट विनिर्माता कम्पनी को उपलब्ध कराने हेतु।

(मुकेश कुमार श्रीवास्तव)
कृषि निदेशक, उ0प्र0।